



राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

कर्मोंक:- प.2 (सब)जी-39 (II)/आ.कृ./ग्रुप-9/

दिनांक:

कार्यालय-आदेश

श्री बापुलाल पानेरी जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक उद्यान बांसवाड़ा में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 30.09.2021 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री बापुलाल पानेरी के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(डॉ० ओमप्रकाश)

आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज(कृषि)

कर्मोंक:- प.2 (सब)जी-39 (II)/आ.कृ./ग्रुप-9/17977-03

दिनांक: 23/09/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक उद्यान मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
- 3- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 4- सहायक निदेशक उद्यान बांसवाड़ा।
- 5- श्री बापुलाल पानेरी, सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान बांसवाड़ा।
- 6- निजी पंजिका।

(कैलाश चन्द्र मीना)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)